ग्राम पंचायत पंचायत रायसन, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017

भाग—एक

1 प्रस्तावनाः—

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व, निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत रायसन, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि में ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थेः—

(i) प्रधानः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री रनधीर ठाकुर	1.4.14 से 21.1.16
2	श्रीमती अन्जली शर्मा	22.1.16 से लगातार

(ii) सचिवः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री दविन्द्र कुमार	1.4.14 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः— ग्राम पंचायत रायसन के लेखाओं अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	पैरा नं0	गम्भीर अनियमितताओं का सार	राशि (लाखों में)
1	4.2	रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण अन्तर	0.04

2	7	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	1.05
3	8	अनुदान का उपयोग न करना	20.92
4	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना क्रय	0.98

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत रायसन, विकास खण्ड नग्गर, जिला कूल्लु के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विकास धवन, अनुभाग अधिकारी व श्री महेन्द्र सिंह, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 12.12.17 से 15.12.17 तक पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 8/14, 10/15, व 6/16 तथा 5/14, 4/15 व 3/17 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत रायसन, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD(211)/2017-157 दिनांक 15.12.17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत रायसन से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत रायसन, विकास खण्ड नग्गर द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(i) स्वः स्त्रोत व अनुदानः— ग्राम पंचायत रायसन के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के स्वः स्त्रोत व अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1 (क, ख)** में दिया गया है।

बैंक पास बुकों के अनुसार :– परिशिष्ट–1 (क)

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	816993	933124	39995	1790112	279193	1510919

रोकड़ बहियों के अनुसार (परिशिष्ट–1 (ख) (i)

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2015–16	1510957	1385843	53451	2950251	1142936	1807315
2016–17	1807315	1653259	92810	3553384	464369	3089015

(ii) मनरेगाः– परिशिष्ट–1 (ख) (ii)

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	Nil	41100	346	–	186724	–
2015–16	–	–	–	–	140754	–
2016–17	–	–	–	–	350499	Nil

Note:- Payments through F.T.O.

		राशि (₹)
(i)	दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बहियों के अनुसार शेष	3089015
	हस्तगत राशि	(–)494
		3088521
(ii)	दिनांक 31.3.17 को बैंकों में जमा शेष राशियाँ **(परिशिष्ट–5)**	3084550
(iii)	अन्तर	3971

4.1 स्वः स्त्रोत व अनुदानों से प्राप्त आय व व्ययों का विवरणः–

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्रस्तुत रोकड़ बहियों के अनुसार पंचायत द्वारा अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक स्वः स्त्रोत व अनुदानों से प्राप्त आय व व्यय का विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–2 (क से ग)** में दिया गया है।

4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण दिनांक 31.3.2017 को ₹0.04 लाख का अन्तरः–

ग्राम पंचायत रायसन की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा वर्ष 2014–15 में रोकड़ बही का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार नहीं किया गया था तथा वर्ष 2015–16 से रोकड़ बही में आरम्भिक शेष लेकर अन्तिम शेष की गणना तो की जा रही थी परन्तु नियमानुसार बैंक खातों से मिलान नहीं किया गया था। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण दिनांक 31.3.17 को ₹3971 का अन्तर है जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा 4 में दिया गया है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4.3 अंकेक्षण में प्रस्तुत वर्ष 2014–15 की वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.3.15 को अन्तशेष ₹1510919 दर्शाया गया जबकि वर्ष 2015–16 की वित्तीय स्थिति में अथशेष ₹1510957 दर्शाया गया अर्थात ₹37 अथशेष अधिक दर्शाया गया जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें।

5 बजट प्राक्कलन फार्म–11 में तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन फार्म–11 में तैयार न करके सामान्य तौर पर कार्यवाही रजिस्टर में बनाया गया था। अतः बजट प्राक्कलन

नियमानुसार न बनाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन, तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

6 निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखनाः–

पंचायत की रोकड़ बही के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार हस्तगत राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था जोकि (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	अवधि	राशि (₹)
1	8.1.15 से 19.1.15	14727
2	20.1.15 से 23.1.15	21289
3	24.1.15 से 17.2.15	20202
4	27.7.15 से 29.7.15	9137
5	29.7.15 से 6.8.15	12597
6	7.8.15 से 11.8.15	13191
7	12.8.15 से 23.8.15	13033
8	24.8.15 से 10.9.15	13683
9	11.9.15 से 5.10.15	13783
10	6.10.15 से 7.10.15	14803
11	8.10.15 से 21.10.15	13461
12	9.11.15 से 8.12.15	16981
13	9.12.15 से 20.1.16	19579
14	8.6.16 से 8.7.16	10444
15	8.7.16 से 8.8.16	9466
16	9.8.16 से 4.10.16	9524
17	5.10.16 से 8.12.16	6764
18	9.12.16 से 30.12.16	4906

G.P. Raison

7 पंचायत राजस्व ₹1.05 लाख वसूली हेतु शेषः–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.17 तक पंचायत राजस्व ₹105055 वसूली हेतु शेष थी **(परिशिष्ट–3)**

(i) गृहकरः–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2014–15	29270	22700	51970	19515	32455
2015–16	32455	22700	55155	200	54955
2016–17	54955	22700	77655	4000	73655

(ii) भवनों/दुकानों से किरायाः–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2014–15	6000	30000	36000	33400	2600
2015–16	2600	30000	32600	21400	11200
2016–17	11200	30000	41200	24800	16400

(iii) मोबाईल टावरः–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2014–15	7500	2500	10000	–	10000
2015–16	10000	6500	16500	4000	12500
2016–17	12500	4500	17000	2000	15000

No. of Tower:- 2

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करनी सुनिश्चित की जाए।

7.1 गृहकर मांग व वसूली रजिस्टर को पूर्ण न करने बारेः–

ग्राम पंचायत रायसन के गृहकर मांग व वसूली रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा गृहकर मांग व वसूली रजिस्टर को दिनांक 31.3.17 तक पूर्ण नहीं किया गया था। अतः उपरोक्त रजिस्टर में प्रति परिवार बकाया राशि की गणना करके रजिस्टर में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8 **अनुदान ₹20.92 लाख का उपयोग न करनाः—**

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट "4"** के अनुसार दिनांक 31.3.17 को ₹2091708 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था। अतः अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान की राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

9 **विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः—**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Sr.No.	**Name of Register**
1	T.A. Check Register
2	Cheque issue/Receipt Register
3	Bill Register
4	Stationery Register
5	Mobile Tower Demand & collection register
6	Temporary Advance Register

10 **दिनांक 31.3.17 को बैंक में जमा शेष राशियों व अनुदान की शेष राशियों में ₹9.93 लाख का अन्तर :—**

ग्राम पंचायत रायसन के लेखों की जाँच में पाया गया कि दिनांक 31.3.2017 को पंचायत के विभिन्न बैंक खातों में जमा शेष राशियों व अनुदानों की शेष राशियों में

निम्नविवरणानुसार ₹992842 का अन्तर था। अतः अन्तर की राशि किस–2 शीर्ष (Head) की है कि पूर्ण सूचना पंचायत में उपलब्ध नहीं थी। अतः अन्तर की ₹992842 किस–किस शीर्ष की है कि गणना करके तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(i)	दिनांक 31.3.17 को बैंकों में जमा शेष **(परिशिष्ट–5)**	3084550
(ii)	दिनांक 31.3.17 को अनुदानों की शेष राशि **(परिशिष्ट–4)**	2091708
(iii)	अन्तर	₹992842

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.98 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएँ प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–6** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹98290 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं अर्थात निविदाएँ आमन्त्रित किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय प्रत्येक मद को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–7** में दिए विवरणानुसार क्रय मदों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था। अतः उपरोक्त वर्णित परिशिष्ट में दी गई मदों को स्टॉक रजिस्टर में खपत विवरण सहित दर्ज करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक क्रय मद को नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए।

G.P. Raison

13 खाता नि0 सराय मैहण सौह का प्राक्कलन जाँच हेतु प्रस्तुत न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता। निर्माण कार्यों के व्यय वाउचरों की जाँच में पाया गया कि अनुदान VKVNY के अन्तर्गत निर्माणाधीन संराय मैहण सौह पर माह 4/2015 में ₹113576 का व्यय किया गया था परन्तु इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति व प्राक्कलन जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उपरोक्त कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति व प्राक्कलन आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा किए गए कुल व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

14 मनरेगा के अन्तर्गत जारी मस्ट्रोल को पूर्ण किए बिना अनियमित भुगतानः–

ग्राम पंचायत रायसन की मनरेगा के अन्तर्गत जारी मस्ट्रोलों की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार मस्ट्रोलों में आवेदकों को भुगतान करने से पहले प्रत्येक मस्ट्रोल में आवेदकों के हस्ताक्षर लेना अपेक्षित था, परन्तु पंचायत द्वारा आवेदकों के हस्ताक्षर मस्ट्रोल में नहीं लिए गए। मस्ट्रोल को पूर्ण किए बिना किया गया भुगतान आपत्तिजनक है। अतः मस्ट्रोलों को पूर्ण किए बिना भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा प्रत्येक मस्ट्रोल को पूर्ण करके तथा सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाकर आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

Sr. No.	Mustroll No.	Period	Amount (₹)
1	750	5.5.14 to 19.5.14	770
2	4148	17.2.17 to 28.2.17	1360

15 सत्यापित उपस्थिति विवरणी के बिना ₹2700 का अनियमित भुगतानः–

अंकेक्षण अवधि के व्यय वाउचरों की जाँच में पाया गया कि वाउचर संख्या 7 माह 5/15 के अनुसार श्री रमेश कुमार जल रक्षक को अवधि 1.10.14 से 30.11.14 का मानदेय ₹2700 का भुगतान किया गया था परन्तु व्यय वाउचरों में उक्त अवधि की सत्यापित

उपस्थिति विवरणी संलग्न नहीं थी। अतः उपरोक्त अवधि के लिए किए गए भुगतान की सत्यापित उपस्थिति विवरणी प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।

16 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई।

17 **निष्कर्षः—** पंचायत के लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0 0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(3) 26/2017—खण्ड—1—2876—2879 दिनाँक 26.04.2018 शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नग्गर जिला कुल्लू, हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत रायसन, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0 0177—2620881